प्रकरण संख्या 20/2021 रतनलाल बनाम सुश्री अनिता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने जरिये संरक्षक माता श्रीमती मीना पत्नी रतनलाल एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जोधपुरा, तहसील राजसमन्द में आराजी नंबर 266, 269, 281 से 285, 292 से 295, 312/1 कुल किता 12 रकबा 56 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण के पड़दादा देवा जी जाट के समय से होकर विरासत से प्रार्थीया के दादा विपक्षी संख्या 1 शंकरलाल के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार विवादित आराजियात में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/24, 1/24 हिस्सा बनता है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से एक नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 24.05.2015 को प्रार्थी को विपक्षी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीबद्ध करा दिया, जो प्रार्थीगण के मुकाबले प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। विपक्षीगण प्रार्थीगण का हक अधिकार मारने पर आमादा हैं, जबकि भूमि मौरूसी होकर सहदायकी है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2019 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसे दिनांक 03.03.2020 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 08.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित सरूपरिया उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिपक्ष उभयपक्ष की बहस	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:42 IST
Reason: SelfAttested

सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 13.09.2021 को ऑन लाईन नकल निकलवाई तो उसमें सहायक कलक्टर का नोट लगा था, जिस पर नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 24.09.2021 को नकले प्राप्त हुई, तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण की बिना तामील कराये एवं बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण के दादा जी कर्ताखानदान होने से जायज जरूरत हेतु उन्हें भूमि विक्रय हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार था। अधीनस्थ न्यायलय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना कोई विचार किये तथा जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों की बिना पालना किये रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 03.03.2020 अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अपीलान्ट ने दादा जी से भूमि क्रय की, जबकि यह भूमि विरासत से उनके नाम आ सक[illegible]। अपीलान्ट/विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:42 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि से रेस्पोन्डेन्ट को महरूम रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। हाल जमाबन्दी संवत 2077 में विवादित आराजीयात में अपीलान्ट रतनलाल का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 पवन का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 विवादित भूमि के खातेदार अथवा सहखातेदार दर्ज नहीं हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार को बिना सुने प्रार्थीगण के पक्ष में मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जबकि कानूनन रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया न्याय के त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 991/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का साक्ष्यों के आधार पर विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.07.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:42 IST
Reason: SelfAttested